बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06 / खा0उठा0–32 / 2015 1452 खाद्य, पटना / दिनांक– 19.03.18

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का फूड कैलेन्डर के अनुसार शत–प्रतिशत उठाव एवं वितरण करने के संबंध में।

प्रसंग :– संयुक्त सचिव, भारत सरकार का अर्द्ध सरकारी पत्रांक–8-2/2018-BP.III दिनांक 15.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। राज्य स्तर पर दिनांक 23.02.2018 तक खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के समीक्षा के क्रम में निम्नवत् तथ्य परिलक्षित हो रहा है :–

- ❖ माह जनवरी, 2018 के आवंटन का उठाव दिनांक 31.01.2018 तक 94.1 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया गया है ।
- ❖ माह फरवरी, 2018 के आवंटन का उठाव दिनांक 21.02.2018 तक 84 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया गया है। माह फरवरी, 2018 के आवंटन का उठाव अवधि दिनांक 02.03.2018 तक विस्तारित किया गया है ।
- ❖ माह मार्च, 2018 के आवंटन का उठाव दिनांक 21.02.2018 का 29 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 3762 दिनांक 02.08.2017 द्वारा समय–सीमा निर्धारित की गई है जिसका अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना है, लेकिन समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हो रहा है कि पदाधिकारियों द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण ससमय खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण नहीं हो पा रहा है।

साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को नियमानुसार रद्द किया जा रहा है, जबकि उसी अनुपात में पात्र लाभुकों को जाँचोपरांत नया राशन कार्ड ससमय निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण भी खाद्यान्न का शत्–प्रतिशत वितरण नहीं होने के कारण भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का शत्–प्रतिशत उठाव नहीं हो पा रहा है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। इस संबंध में पुनः भारत सरकार द्वारा विलंब से खाद्यान्न उठाव पर चिन्ता व्यक्त की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु निम्नवत् निदेश दिया जाता है :–

1. विभागीय आदेश ज्ञापांक 3762 दिनांक 02.08.2017 द्वारा निर्गत फूड कैलेन्डर के अनुसार ससमय खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सुनिश्चित किया जाय एवं खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों को विरूद्ध कार्रवाई करते हुए विभाग को इसकी सूचना दी जाय ।

2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने हेतु लंबित आवेदनों का विधिवत निष्पादित करते हुए पात्र लाभुकों को अविलंब राशन कार्ड निर्गत करने एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासंनिक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदित करने की कृपा की जाय ।

3. खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की दैनिक समीक्षा करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके ।

4. गोदामों में आवश्यकता से अधिक भंडारित खाद्यान्न का शीघ्र प्रत्यर्पण करने की भी कार्रवाई की जाय, ताकि खाद्यान्नों का समुचित मात्रा में ससमय उठाव एवं वितरण की जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
19/3/18
सरकार के विशेष सचिव।

अनु0–यथोक्त।

ज्ञापांक– प्र0–06/खा0उठा0–32/2015 1452 खाद्य, पटना/दिनांक– 19·03·18

प्रतिलिपि –महाप्रबंधक (ज0वि0प्रणाली), बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/18
सरकार के विशेष सचिव।

PRAMOD KUMAR TIWARI, IAS
Joint Secretary (BP/PD)
Tel: 23384308
Fax 23070239
Email: jspd.fpd@nic.in

सत्यमेव जयते

संयुक्त सचिव
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

JOINT SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI-110001

D.O. No.8-2/2018-BP.III Dated March 15th , 2018

Dear Shri Kumar,

The National Food Security Act is being implemented in your State w.e.f. March, 2014, and monthly allocation of 457822 MT of foodgrains is being allocated to the State Government and made available at designated depots of Food Corporation of India (FCI) in the State.

2. The Act legally entitles eligible households to receive their foodgrain quota per month, failing which food security allowance is payable to the beneficiaries by the State Government, as per provisions of the Act and the Food Security Allowance Rules, 2015, notified under NFSA in January, 2015.

3. For smooth and timely distribution of entitled foodgrains to eligible households, it is essential that States/UTs strictly adhere to timelines for lifting monthly allocation from FCI godowns and ensure its delivery upto door-steps of fair price shops for distribution. However, while reviewing the State-wise status of lifting of foodgrains, it has been observed that during January – December, 2017, only 30% rice and 36% wheat was lifted by the Govt. of Bihar in the normal validity period. Following quantity of foodgrain was either lifted in extended validity period or allowed to lapse:-

RICE (%)				WHEAT (%)			
Lifted in normal validity period	Lifted during 1st 15 days' extension	Lifted during 2nd 15 days' extension	Quantity allowed to lapse	Lifted in normal validity period	Lifted during 1st 15 days' extension	Lifted during 2nd 15 days' extension	Quantity allowed to lapse
30	41	27	1	36	41	22	1

4. As per the Targeted Public Distribution (Control) Order, 2015, State Governments are required to lift foodgrains from FCI godowns by the last day of the month preceding the allocation month and any extension of time for lifting can be considered by FCI and the Department of Food & Public Distribution in very rare and

deserving cases. The delegated powers of General Manager and Executive Director, FCI, to grant extension of 15 days each are therefore meant to meet only unforeseen circumstances causing delay in lifting, and not to be resorted in a routine manner.

5. In the light of the above, I request you to please review status of lifting of allocated foodgrains at your level, identify the bottlenecks for necessary remedial measures and issue necessary instructions to concerned officers to ensure 100% lifting within the normal validity period i.e by the last day of the month preceding the allocation month.

With Regards

Yours sincerely,

Pramod

(PRAMOD KUMAR TIWARI)

Shri Pankaj Kumar, IAS
Secretary
Department of Food & Consumer protection
Govt. of Bihar
Main Secretariat
Patna-80001